रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 899] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 23, 2007/श्रावण 1, 1929
No. 899] NEW DELHI, MONDAY, JULY 23, 2007/SRAVANA 1, 1929

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2007

का.आ. 1203(अ).—केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, मेघालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, मेघालय कहा गया है) का गठन करती है जिसमें मेघालय राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित तीन सदस्य अर्थात् अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव समाविष्ट होंगे जो निम्नलिखित हैं :-

1. श्री एच डब्ल्यू टी सिएम, भा.प्र. से (सेवानिवृत) एलिसियम, अपर मोती नगर, शिलांग-793014, मेघालय — अध्यक्ष, पावर एवं सड़क परिवहन सेक्टर में परियोजना प्रबंधन
2. श्री आइवन राय, भा.व से. (सेवानिवृत) विन्दमेयर रिंगी-जिनरी, नांगथमाई, शिलांग, 793014, मेघालय — सदस्य, वानिकी और वन्यजीव
3. श्री एच प्रसाद अध्यक्ष, मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, "अरदीन" लम्पिगगंड, शिलांग, 793014, मेघालय — सदस्य-सचिव

2. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से तीन वर्ष होगी ।

3. प्राधिकरण, मेघालय ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जो अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 में प्रगणित की जाए ।

4. प्राधिकरण मेघालय इस आदेश में मेघालय सरकार के लिए गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस ई ए सी) की सिफारिशों के आधार पर अपने निर्णय देगी ।

5. मेघालय राज्य सरकार प्राधिकरण के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए अभिकरण को अधिसूचित करेगा और यह सभी वित्तीय और संभारिक सहायता, जिसके अंतर्गत स्थान सुविधा परिवहन भी है और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं

उपलब्ध करवाएगी । प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य को बैठक फीस, यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता मेघालय सरकार द्वारा नियमानुसार संदत्त होगा ।

6. उक्त प्राधिकरण की सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार मेघालय राज्य सरकार से परामर्श करके राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, मेघालय का गठन करती है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् एस ई ए सी कहा गया है) जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे :–

1. डॉ. बी के तिवारी, प्रोफेसर पर्यावरण विज्ञान, डीन, स्कूल आफ ह्यूमन एण्ड एन्वायरमेन्टल साइंस, नार्थ ईस्ट्रन हिल विश्वविद्यालय शिलांग-793022	–अध्यक्ष, पर्यावरण गुणत्ता पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया
2. डॉ. मोहम्मद जावेद, एसोसिएट प्रोफेसर आफ पर्यावरण इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, आई आई टी गुवाहाटी, गुवाहाटी-781039	–सदस्य, पर्यावरण गुणत्ता
3. प्रो. एस के बारिक, वनस्पति विभाग, नार्थ ईस्ट्रन हिल विश्वविद्यालय, शिलांग-793022	–सदस्य, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया, वनस्पतिजात और प्राणिजात प्रबंधन
4. श्री एम बी के पाण्डेय, डी एफ ओ वन्यजीव, खासी हिल्स डिवीजन, वन एवं पर्यावरण विभाग, मेघालय सरकार, शिलांग-793001	– सचिव

7. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से तीन वर्ष होगी और एस ई ए सी, मेघालय का प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनर्गठन किया जाएगा ।

8. एस ई ए सी, मेघालय ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी जो अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 में प्रगणित की जाएं ।

9. एस ई ए सी, मेघालय सामूहिक दायित्व के सिद्धान्त पर काम करेगी। अध्यक्ष, प्रत्येक मामले में एकमत होने का प्रयास करेगा और यदि एकमत नहीं हो सकता तो बहुमत का विचार अभिभावी होगा ।

10. मेघालय राज्य सरकार, एस ई ए सी मेघालय के सचिवालय के रूप में कार्य करने वाले अभिकरण को अधिसूचित करेगी और यह सभी वित्तीय और संभारिक सहायता, जिसके अंतर्गत स्थान सुविधा, परिवहन भी है और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। एस ई ए सी के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक फीस, यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता मेघालय राज्य सरकार द्वारा राज्य के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा ।

[सं. जे.-11013/9/2007-आई ए-II(I)]

रा. आनंदकुमार, सलाहकार

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2007

S.O. 1203(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the Government of India notification number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority

(SEIAA), Meghalaya (hereinafter referred to as the Authority, Meghalaya) comprising of three members namely, Chairman, Member and Member-Secretary nominated by the State Government of Meghalaya as under :

1. Sh. H.W.T. Syiem, IAS (Retd.), Elysium, Upper Motinagar, Shillong-793014, Meghalaya. —Chairman, Project Management in Power and Road Transport Sector
2. Sh. Ivan Roy, IFS (Retd.), Windermere, Rngi-jynriew, Nongthymmai, Shillong-793014, Meghalaya. —Member, Forestry and Wildlife
3. Sh. H. Prasad, Chairman, Meghalaya State Pollution Control Board, 'Arden', Lumpyngngad, Shillong-793014, Meghalaya. —Member-Secretary

2. The Chairman and Members shall have the term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Meghalaya shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006.

4. The Authority, Meghalaya shall base its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted for the State of Meghalaya in this order.

5. The State Government of Meghalaya shall notify the agency to act as secretariat for the Authority and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions. Sitting Fee, Travelling Allowance/Dearness Allowance to the Chairman and Member of the Authority shall be paid by the State Government of Meghalaya as per State rules.

6. To assist the said Authority, the Central Government, in consultation with the State Government of Meghalaya, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Meghalaya (hereinafter referred to as SEAC), which shall comprise the following Members :

1. Dr. B. K. Tiwari, Professor of Env. Sciences, Dean, School of Human & Environmental Sciences, North Eastern Hill University, Shillong-793022. —Chairman, Environment Quality, EIA Process
2. Dr. Mohammad Jawed, Associate Professor of Env. Engineering, Dept. of Civil Engineering, IIT, Guwahati, Guwahati-781039. —Member, Environment Quality
3. Prof. S.K. Barik, Department of Botany, North Eastern Hill University, Shillong-793022. —Member, EIA Process, Flora and Fauna Management
4. Sh. M.B.K. Reddy, D.F.O. Wildlife, Khasi Hills Division, Deptt. of Forest & Environment, Govt. of Meghalaya, Shillong-793001. —Secretary

7. The Chairman and Members shall have the term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette and SEAC, Meghalaya shall be reconstituted after every three years.

8. The SEAC, Meghalaya shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006.

9. The SEAC, Meghalaya shall function on the principle of collective responsibility. The Chairperson shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

10. The State Government of Meghalaya shall notify the agency to act as secretariat for the SEAC, Meghalaya and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect to all its statutory functions. Sitting Fee, Travelling Allowance/Dearness Allowance, to the Chairman and Members of the SEAC shall be paid by the State Government of Meghalaya as per State rules.

[No. J-11013/9/2007-IA. II (I)]

R. ANANDAKUMAR, Advisor

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.